

**कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

-:: अधिसूचना ::-

क्रमांक / 5305 / भू-अर्जन / 2025

कोरबा, दिनांक 25/04/2025

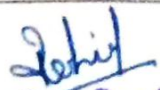
चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

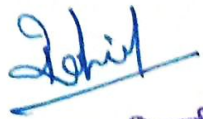
भूमि का वर्णन :-

1. जिला : कोरबा
2. तहसील : दीपका
3. ग्राम/नगर : भर्माकुड़ा
4. भूमि का क्षेत्रफल: 2.591 हे.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
33/3/घ	0.008	304	0.129
33/5	0.012	305	
37/3	0.061	307	0.061
38/1	0.156	308	
38/5	0.061	306/2	0.061
41	0.260	310/1	0.114
35	0.040	311/1	
31/1	0.210	310/2	0.131
50/1/ख/1	0.201	311/2	
56/1	0.121	312/1	0.017
57/1		302/1/क	0.263
62/1		331/1/घ	0.128
56/2	0.215	313/2	0.338
57/2		योग:- कुल खसरा नं. - 31, कुल रकबा - 2.591 हे.	
62/2			
61/3			
63/3	0.004		
64/3			


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अश्वीन वसंत)
कलेक्टर,
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग